न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस.

अपील पत्र संख्या :– 08 / 2023

शांतिलाल पिता देवा जी जाति भील निवासी दुकराई तह0 बेगूं
अपीलार्थी

बनाम

श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहब बेगूं जिला चित्तौड़गढ़
रेस्पोंडेन्ट

उपस्थित :– श्री अशोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता अपीलार्थी

आदेश दिनांक :– 13.02.2025

आदेश अपील विरूद्ध निर्णय नामान्तरण संख्या 2451 निर्णित दिनांक 1.5.2016 ग्राम दुकराई पटवार हल्का दुकराई तहसील बेगूं

अपीलार्थी की अपील इस प्रकार से है कि अपीलार्थी की ग्राम दुकराई प.ह. दुकराई में संपरिवर्तन की आराजी स्थित है जिसकी तफरील निम्न प्रकार है :–

खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा
1 एक	2693 / 90	0.0430 है.
	91 मीन	0.1870 है.
	कीता–2	रकबा 0.2300 हेक्टर

यह कि अपीलार्थी ने अपनी खातेदारी एवं कब्जेसुदा आराजी का भू–रूपान्तरण कराने हेतु माननीय उपखण्ड अधिकारी बेगूं के यहाँ औद्योगिक प्रयोजनार्थ पत्रावली प्रस्तुत की थी जो स्वीकृत होकर संपरिवर्तन आदेश प्रकरण संख्या 63 / 2015 दिनांक 18.11.2015 की पालना में हल्का पटवार ने नामान्तरण संख्या 2454 वास्ते किस्म परिवर्तन खोला जिसमें प्रस्तावित प्रविष्टि के रूप में किस्म औद्योगिक एग्रो के रूप में किस्म परिवर्तन के साथ साथ खातेदार अपीलार्थी के नाम के बजाय भूमि को प्रस्तावित किया जिसे रेस्पोडेन्ट ने स्वीकार करते हुए नामान्तरण स्वीकृत करने में भूल की है।

यह कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार साहब बेगूं द्वारा राजस्व रेकार्ड व नियमो के अनुसार नामान्तरण मे मात्र किस्म परिवर्तन किया जाना था साथ साथ खातेदार का नाम विलोपित करते हुए नामान्तरण स्वीकृत करने में कानूनी भूल की है इसलिये निर्णय नामान्तरण निरस्त किये जाने योग्य है।

यह कि नामान्तरण संख्या 2454 निर्णय दिनांक 01.05.2016 को होकर उसकी जानकारी अपीलार्थी को हल्का पटवारी से जमाबंदी प्राप्त करने एवं नामान्तरण की नकल प्राप्त करने से हुई एवं जानकारी दिनांक से समय अवधि मे अपील नामान्तरण प्रस्तुत है कानूनी पैचदगी से बचने के लिये नियमानुसार धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी अलग से प्रस्तुत है।

यह कि अपील श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त होकर अपील पूर्ण न्याय शुल्क पर मय सम्मन व प्रोसेस नकल के प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तरण संख्या 2454 दिनांक 01.05.2016 को निरस्त फरमा संपरिवर्तन आदेशानुसार भूमि की किस्म परिवर्तीत करते हुए खातेदार का नाम पूर्व राजस्व रेकार्ड की जमाबंदी मे अंकितानुसार वर्तमान संपरिवर्तन भूमि दर्ज कराये जाने का आदेश फरमाया जावे।

अपील पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जाने के पश्चात बाद जाँच दर्ज किया गया। रस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया, रेस्पोडेन्ट तहसीलदार बेगूं प्रकरण में उपस्थित आए तथा उन्होने इस अपील प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए अपने जवाब में निवेदन किया कि अपील पत्र का कालम नं. 1 राजस्व रेकार्ड अनुसार सही है। कालम नम्बर दो का जवाब इस प्रकार

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

कि यह सही है कि श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, बेगूं के द्वारा औद्योगिक प्रयोजनार्थ पत्रावली प्रकरण संख्या 63/2015 दिनांक 18.11.2015 की पालना में हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरण संख्या 2454 दायर किया गया है रेस्पोडेन्ट द्वारा जो नामान्तरण स्वीकृत किया गया वह सही किया गया है।

अपील पत्र का कालम नं. 3 का जवाब इस प्रकार है कि न्यायलाय तहसीलदार बेगूं द्वारा नामान्तरण राजस्व रेकार्ड व नियमो के परिप्रेक्ष्य में सही स्वीकृत किया गया है। कालम नं. 4 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है।

यह कि अपील पत्र के कालम नं. 5 का जवाब इस प्रकार है कि नामान्तरण संख्या 2454 दिनांक 01.05.2016 को तहसीलदार बेगूं द्वारा निर्णित किया गया है। अतः उक्त नामान्तनरण की अपील का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को नहीं होकर श्रीमान जिला कलक्टर को है। अतः अपील नामान्तरण श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में नहीं होने से खारिज फरमाया जावें।

प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट तहसीलदार बेगूं की उपस्थित एवं जवाब प्रस्तुत होने के पश्चात अपील पत्र पर उभयपक्ष की बहस को सुना गया। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस को अपील पत्र अनुसार करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा अपने खातेदारी की भूमि का संपरिवर्तन औद्योगिक एग्रो बिजनस के लिए कराया था जो माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय के कार्यालय से संपरिवर्तन आदेश जारी हुआ, उक्त संपरिवर्तन आदेश की पालना में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरण संख्या 2454 जो खोला गया उसमें प्रविष्टियों सहित काश्तकार का नाम के जगह भूमि बिलानाम औद्योगिक (एग्रो बिजनस) दर्ज कर दिया, जबकि नियमानुसार भूमि की किस्म को परिवर्तन किया जाना था। उक्त नामान्तरण को तहसीलदार बेगूं द्वारा दिनांक 1.05.2016 को स्वीकृत दिया जिससे जमाबंदी में खातेदार का नाम भी अंकित न होकर भूमि धारक राज सरकार अंकित हुआ है। अतः निवेदन है कि नामान्तरण संख्या 2454 निरस्त फरमाते हुए सही अंकन कराये जाने का आदेश फरमावें।

बहस मे रेस्पोडेन्ट परोकार सरकार तहसीलदार द्वारा अपने जवाब के अनुसार ही निवेदन करते हुए कहा कि जो नामान्तरण खोला गया वह माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय के आदेश की पालना में खोला गया है, तथा निवेदन है कि तहसीलदार द्वारा निर्णित नामान्तरण की अपील सुने जाने का श्रवणा क्षेत्राधिकार श्रीमान जिला कलक्टर महादेय को है। अतः निवेदन है कि अपील पत्र खारिज फरमाया जावें।

हमारे द्वारा उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया। हम रेस्पोडेन्ट तहसीलदार बेगूँ के कथन से सहमत है,उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के द्वारा दिये गये आदेश की पालना में खोले गये नामान्तरण की अपील सुने जाने का अधिकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बेगूं नहीं हो सकता है। पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी व नामान्तरण संख्या 2454 को अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। उक्त नामान्तरण को तहसीलदार बेगूँ द्वारा दिनांक 01.05.2016 को स्वीकृत किया गया है,जो इसी न्यायालय के संपरिवर्तन आदेश की पालना में खोला गया। नियमानुसार इस न्यायालय द्वारा तहसीलदार बेगूँ द्वारा निर्णित नामान्तरण की अपील को सुने जाने का प्रावधान नियमो में नहीं है, इस अपील पत्र का श्रवणा क्षेत्राधिकार इस न्यायालय का नहीं होने से अपील पत्र खारिज किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः अपील अपीलान्ट नामान्तरण की एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी,
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़